

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
बेगूसराय, नवादा, पू0 चम्पारण (मोतिहारी), शेखपुरा, मुंगेर, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, समस्तीपुर,  
लखीसराय, बांका, कटिहार, अररिया, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, पं0 चम्पारण (बेतिया), मधेपुरा एवं  
जहानाबाद।

पटना, दिनांक-12-1-2018

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,18,000/- (छः करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,18,000/- (छः करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

**अनु०:- यथा उपर्युक्त।**

विश्वासभूजन

1/11

सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
बेगूसराय, नवादा, पू0 चम्पारण (मोतिहारी), शेखपुरा, मुंगेर, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, समस्तीपुर,  
लखीसराय, बांका, कटिहार, अररिया, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, पं0 चम्पारण (बेतिया), मधेपुरा एवं  
जहानाबाद।

पटना, दिनांक-12/1/2018

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,18,000/- (छः करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 6,74,18,000/- (छः करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-02/2017 सा०-...../ पटना, दिनांक-12-1- /2018  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय, नवादा, पू० चम्पारण  
(मोतिहारी), शेखपुरा, मुंगेर, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, समस्तीपुर, लखीसराय, बांका, कटिहार, अररिया,  
सीतामढ़ी, औरंगाबाद, प० चम्पारण (बेतिया), मधेपुरा एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

१

1/11

सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

क्रमांक	जिला का नाम	वेतन	जीवन थापन भता	भकान किराया भता	परिवहन भता	अन्य भता	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कार्यालय व्यय	गाहन का इंधन एवं रख-रखाव	आतिथ्य व्यय	सामग्री एवं पूर्तियाँ	सविदा सेवार्	कुल
1	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000	4,00,000
2	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000	4,00,000
3	पु0 चम्पारण (बतिहारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000	4,00,000
4	शंखपुरा	0	0	0	0	0	0	3,00,000	1,00,000	50,000	1,00,000	2,00,000	7,50,000
5	मुंगेर	70,00,000	5,00,000	1,00,000	1,00,000	50,000	0	0	0	0	0	8,00,000	85,50,000
6	भोजपुर (आरा)	110,00,000	190,00,000	2,00,000	4,00,000	0	0	0	0	0	0	40,00,000	346,00,000
7	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,00,000	12,00,000
8	समस्तीपुर	60,00,000	70,00,000	1,00,000	0	0	0	0	0	0	0	40,00,000	171,00,000
9	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	2,00,000
10	बांका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000	4,00,000
11	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000	4,00,000
12	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000	4,00,000
13	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00,000	6,00,000
14	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00,000	6,00,000
15	पु0 चम्पारण (बतिहारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,00,000	12,00,000
16	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00,000	2,00,000
17	जहानाबाद	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
	कुल योग -	240,00,000	265,00,000	4,00,000	5,00,000	50,000	18,000	3,00,000	1,00,000	50,000	1,00,000	154,00,000	674,18,000

(छ: करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार रुपये) मात्र।

6  
141  
सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग